26.9.17
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

6 10/17

आज यह पत्रावली अपील प्रार्थी श्री
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पेश की
गई। प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से
कारण खारीज है मुकदमा अतः प्रार्थना-
पत्र 212 CrPC के चलने योग्य नहीं
होने के कारण खारीज किया जाता है
न्यायालय द्वारा पारी अन्तरिम आदेश
विपक्षीगण द्वारा 144 के अन्तर्गत
किया जाता है। आदेश सुनाया पश्चात
पत्रावली नियमानुसार हेतु-संधारण
लगाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:45:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)